249

द्वारा ई–मेल/द्वारा फैक्स/अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपॉच–470(वरिष्ठता)–2014/2 दिनॉकःफरवरी 10 ,2015

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश। (पीएसी को छोड़कर)
2–समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश (पीएसी को छोड़कर)
4–सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

<u>विषयः</u> उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन एवं पदोन्नति की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त सन्दर्भ में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याःपॉच–470(वरिष्ठता)2014 दिनॉकः 13–12–2014 का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्रशिक्षण बैच– 1997–98 तक के 1941 तथा शुद्धि–पत्र दिनॉकः31–01–2015 द्वारा 02 उपनिरीक्षकों के नाम सम्मिलित करते हुये व 05 उपनिरीक्षकों के नाम को वरिष्ठतासूची से विलोपित करते हुये कुल 1938 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करते हुए <u>भर्ती/चयन के वर्ष–2013 की रिक्तियों के दृष्टिगत अन्तिम वरिष्ठता सूची के अनुसार प्रशिक्षण बैच–1995–96 तक के उपनिरीक्षकों के सेवा अभिलेख/बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजे जाने का अनुरोध किया गया था।</u>

2– अवगत कराना है कि चयन वर्ष–2013–14 की रिक्तियों की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण बैच–1997–98 के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची के उपनिरीक्षकों की चरित्र पंजियों सेवाअभिलेख एवं बोर्ड प्रपत्र–1 की आवश्यकता है।

3– अतः अनुरोध है कि अन्तिम वरिष्ठता सूची के प्रशिक्षण बैच–1997–98 के प्रकाशित वरिष्ठता सूची के मुख्य कमसंख्या–719 से 900 तक अपने जनपद/इकाई में नियुक्त जोनवार संलग्न सूची में उल्लिखित उपनिरीक्षकों के सेवाअभिलेख प्रत्येक दशा में दिनांक–15.02.2015 तक अद्यावधिक कराकर पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार निम्न प्रकार अग्रेतर कार्यवाही हेतु पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के अनुभाग–पॉच में उपलब्ध कराने की कृपा करें:–

(1)– भर्ती/चयन वर्ष–2013 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित प्रशिक्षण बैच–1997–98 के मुख्य कमसंख्या–719 से 900 तक के उपनिरीक्षकों का विवरण <u>बोर्ड प्रपत्र–1</u> में वर्ष–2003 से 2012 तक के सेवा अभिलेखों की प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु **कट–आफ–डेट 01–07–2013 होगी।** बोर्ड प्रपत्र–1 को भरने हेतु दिशा–निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध लिंक ''प्रोन्नति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियॉ'' पर लिंक करने पर ''प्रोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के प्रारूप'' के अन्तर्गत उपलब्ध हैं और वहॉ से डाउन लोड किये जा सकते हैं। <u>(बोर्ड प्रपत्र–1 एवं भरने हेतु दिशा–निर्देश पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–13.12.2014 द्वारा पूर्व में ही भेजा गया है।)</u>

(2)– उपनिरीक्षकों की चरित्रपंजिकायें एंव बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें सम्बन्धित जनपद/इकाईयों द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/सम्बन्धित इकाई के पुलिस उपमहानिरीक्षक के हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराये जायेंगें।

समस्त – जोन/विभागाध्यक्ष
कृपया अपने अधिनस्त परिक्षेत्रों/जनपदों/इकाइयों
को तत्काल प्रेषित करें।
P.H.Q.

(3)– कतिपय उपनिरीक्षकों के विरूद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जाँच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम वरिष्ठता सूची के अनुसार प्रशिक्षण बैच–1997–98 वरिष्ठता सूची के मुख्य कमसंख्या–719 से 900 तक के उपनिरीक्षकों से स्वघोषित घोषणा–पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण स्वघोषणा–पत्र में अंकित करा लिया जाय। (स्वघोषणा–पत्र का प्रारूप पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–13.12.2014 द्वारा पूर्व में ही भेजा गया है।)

(4)– यदि स्वघोषणा–पत्र में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जाँच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र–1 के निर्धारित कालम में किया जाय। साथ ही सभी उपनिरीक्षकों के स्वघोषित घोषणा–पत्र भी बोर्ड प्रपत्र–1 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराये जाय।

(5)– सम्बन्धित उपनिरीक्षकों की चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें व स्वघोषित घोषणा–पत्र 03–03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी0डी0 लेकर सम्बन्धित सहायक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग–5 में प्रत्येक दशा में 15.02.2015 तक उपस्थिति होकर चरित्रपंजिकाओं/सूचनाओं का मिलान कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6– अतः अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समयसीमा के अन्दर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–जोनवार सूची।

10/2

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनाँक वही।

प्रतिलिपिःसमस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अपने परिक्षेत्र के जनपदों से उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण बैच–1997–98 के वरिष्ठता सूची के मुख्य कमसंख्या–719 से 900 तक के उपनिरीक्षकों की अद्यावधिक चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र–1 में सूचनायें प्राप्त कर परीक्षण/हस्ताक्षरोपरान्त जनपद के सम्बन्धित सहायक के माध्यम से निर्धारित समय सारणी के अनुसार पुलिस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नक–जोनवार सूची।

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

नोट.— छ0 सूची इन्टरनेट से डाउनलोड कर प्राप्त कर लें।

संख्या तथा दिनाँक वही।

प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।

2— पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से सर्वसम्बन्धित को अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समुचित निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संख्या तथा दिनाँक वही।

प्रतिलिपिः--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1— पुलिस उपमहानिरीक्षक,एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।

2— निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।

3— आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

4— पुलिस अधीक्षक,पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।

5— पुलिस अधीक्षक,सीबीआई लखनऊ।

6— पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग लखनऊ।

7— संयुक्त सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकारण, इलाहाबाद।

8— सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकारण, गाजियाबाद।

9— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

10— संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

11— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर–6, गौतमबुद्धनगर।